

न्यायालय कलेक्टर (शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 24 / बी-121 / 2014-15

: आदेश ::

(आज दिनांक 25/04/2015 को पारित किया गया)

प्रकरण तहसीलदार जोबट का होकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जोबट के माध्यम से प्राप्त हुआ प्रकरण का अवलोकन किया गया। पिड़ित कृषक वेस्ता पिता पुटसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम पहाडवा की पुत्री भुरी किराना सामान लेने ग्राम कनवाडा जा रही थी कि वर्षा होने पर गाहुए के पेड के निचे दोनो बहन (अनिता, भुरी) खडी थी कि दिनांक 11.4.2015 को अचानक आकाशीय बिजली गिरने से घटनास्थल पर ही भुरी की मृत्यु हो गई है। मृतक के पिता वेस्ता पिता पुटसिंह निवासी ग्राम पहाडवा को 1,50,000/- (एक लाख पच्चास हजार रूपये) की आर्थिक सहायता की अनुशंसा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जोबट द्वारा की गई है।

अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार जोबट के प्रतिवेदन से सहमत होकर प्रकरण में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 संशोधित ज्ञाप क्रमांक/एफ 6-4/2012/सात-3 भोपाल दिनांक 13 अप्रैल 2012 की कंडिका-10(5) के अनुसार आकाशीय बिजली गिरने से मृतक व्यक्ति (भुरी) के परिवार/निकटतम वारिश में उसके पिता वेस्ता पिता पुटसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम पहाडवा तहसील जोबट को 1,50,000/- (एक लाख पच्चास हजार रूपये) आर्थिक अनुदान सहायता राशि स्वीकृत की जाती है।

उक्त व्यय मांग संख्या 58-लेखाशीर्ष 2245 प्राकृतिक आपदाओं के संबध में राहत 003-अग्नि पिड़ितो को राहत- आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगी।

अनुदान राशि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरित की जावें।

(शेखर वर्मा)
कलेक्टर

जिला अलीराजपुर

पृ0क / 392 / रीडर / 2015
प्रतिलिपि:-

अलीराजपुर दिनांक... 25/4/2015

- 1 जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
- 2 प्रभारी अधिकारी (राहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर ।
- 3 प्रभारी अधिकारी (वित्त-2) जिला अलीराजपुर ।
- 4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जोबट ।
- 5 तहसीलदार तहसील जोबट ।
- 6 संबंधित वेस्ता पिता पुटसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम पहाडवा तहसील जोबट की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर

जिला अलीराजपुर